

राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पी.11(7)/पित्त (निधम)/2008 दिनांक:12.09.08 एवं आदेश संख्या एक, 2010/पित्त (निधम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता के राजस्थान पुनर्रक्षित वेतनमान नियम, 2008 के नियम 14 एवं 15 के तहत उनके नाम के अग्रे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आरक्षण) के शिखर प्रगति) वेतन बैंड (9300-37800)/(15600-39100)/में मैट्रिक्स लेवल एवं ग्राजुअल संस्था 08 के अनुसार ग्रेड वेतन एवं लेनअ संख्या, कोलम संख्या 09 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम एवं पदस्थापन स्थान (राजमावि/राजराजमावि)	विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर नियम का प्रकार	एसीपी स्वीकृति से संबंधित सेवावधि का विवरण	PAY MATRIX LETTER NO/ GRADE PAY	एसीपी स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	संजीव कुमार वर्मा, शहीद मेजर जेम्स थॉमस राजमावि बीकानेर	गणित	15.01.1965	29.09.89	डीपीसी	30 वर्ष	L-14	29.09.19
2.	राजेश कुमार पाटीदार, सागवाड़ा (डुंगरपुर)	भौतिक विज्ञान	06.11.1972	02.01.98	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	02.01.98
3.	शैलेन्द्र सिंह गहलोत, राजमावि नवीन भवन सिरोही	भौतिक विज्ञान	07.09.1976	01.07.99	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	01.07.99

उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की परिधि संबंधित कार्मिक की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(संयुक्त निदेशक)

आईएएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 23.05.2020

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-3/भोगक/एसीपी/स्वीकृति/2020/208

प्रतिनिधि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।

02- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मुख्यालय।

03- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जिला मुख्यालय।

04- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक मुख्यालय।

05- सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

06- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।

07- निजी एवं रक्षित पत्रावली।

(संयुक्त निदेशक)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर